न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 475 सन 2020

अनवान :–

1. जयलाल सिवर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
2. देवीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
4. प्रतापसिह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
6. रणजीसिह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
7. सजना पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
8. सिलोचना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
9. शान्ती पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक्‍ वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53/45 की कुल 3.1870हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलु के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने रामस्वरूप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा कर लिया है उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल बयान पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्री वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला बयान पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेशकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53/45 की कुल 3.1870हैक प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलु के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने रामस्वरूप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा कर लिया है उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी पप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53/45 की कुल 3.1870हैक प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि मृतक रामस्वरूप एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 के नाम से दर्ज है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलू के जायज वारिसन वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से साबित हो चुका है अर्थात रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के हकदार है अर्थात रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासत से प्राप्त करने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज्य का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक भूमि जो रामस्वरूप के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 169/1 की 8.9210हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 169/218 की कुल 3.7240हैक में से वादी 0.76240हैक व शेष 2.9616 हैक का प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे व रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 53/45 के खसरा न0 101/1 की कुल 3.1870हैक में से 0.2254 हैक भूमि का वादी व शेष 2.9616 हैक प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,6 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 जयलाल सिवर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
2 देवीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3 जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
4 प्रतापसिह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
6 रणजीसिह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
7 सजना पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
8 सिलोचना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
9 शान्ती पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 475 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक भूमि जो रामस्वरूप के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 169/1 की 8.9210हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खसरा न0 169/218 की कुल 3.7240हैक में से वादी 0.76240हैक व शेष 2.9616 हैक का प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 बहिब के खातेदार काश्तकार होंगे व रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 53/45 के खसरा न0 101/1 की कुल 3.1870हैक में से 0.2254 हैक भूमि का वादी व शेष 2.9616 हैक प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,6 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner